

# कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 694 T.R / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितिकरण करने के संबंध में।

आदेश का क०सं०एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प की गई कार्रवाई : बारे में
------------------------	--------------------------------	----------------------------------

04/08/2020

जमाबंदीदार श्री / श्रीमती कलेश कुमार पिता / पति लाला सुरेश  
 मौजा पुरानगर थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी -II पृष्ठ संख्या- 2/1500  
 .... में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 82 / 62-63 के आधार पर दर्ज है।  
 जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के हाकिम/मि के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

**भूमि की विवरणी:-**

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>पुरानगर</u>	<u>256</u>	<u>211</u>	<u>1708</u>	<u>0.54</u>
			<u>1709</u>	<u>0.80</u>
				<u>1.34</u> <u>0.00</u>

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 11/08/2020 को उपस्थापित करें।


  
 अंचल अधिकारी  
 अड़की।

11/08/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/  
भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा  
सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि  
नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के  
नियमितिकरण हेतु अनुशंसा किये है।


अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक  
सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती करमो पुरान  
..... पिता/पति लंगडा पुरान ..... मौजा- पुरानगा .....थाना-अड़की,  
जिला-खूँटी के नाम से मौजा- पुरानगा .....थाना नं० 256 .....खाता सं० 211  
प्लॉट सं० 1708, 1709 ..... रकबा- 1.34 (घ०) .....लगान 1.20 ..... रूपये अलावे  
शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितिकरण की स्वीकृति दी जाती हैं

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनु रूप  
ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।

  
अंचल अधिकारी,  
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा-.....  
..... थाना न०.....के पंजी- II भौलुम (VOL-.....) के पृष्ठ संख्या-.....पर  
ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है  
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

  
अंचल अधिकारी,  
अड़की।